रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2008—अप्रैल 18, 2008 (चैत्र 23, 1930)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2008—APRIL 18, 2008 (CHAITRA 23, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिेतर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 261

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 159

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 389

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .... *

भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं .... *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .... *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .... *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .... *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 2529

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 141

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .... *

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1325

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 73

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .... *

*प्रकाशित नहीं हुए

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. एफ 9-11/2007-यू.-3(ए).--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन, मंगलौर, कर्नाटक से येनपोया विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 23.10.2007 के पत्र संख्या एफ.26-8/2007 (सीपीपी-I) के द्वारा येनपोया डेन्टल कालेज, मंगलौर वाले येनपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की है;

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर येनपोया डेन्टल कालेज, मंगलौर वाले येनपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से उक्त कालेज स्वयं को अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से असंबद्ध कर लेगा।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस शर्त के भी अधीन है जिसका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 5 पर किया गया है।

6. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग येनपोया विश्वविद्यालय को इसकी अतिरिक्त शिक्षा इकाई को कोई योजनागत और योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे

		प्रोफेसर ए. सुरोलिया, निदेशक, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली प्रोफेसर आर.एस. सैनी, भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष, प्राणीविज्ञान, डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र) निवासः जाट पठोरिया, विला चामुंडी, सागर प्रोफेसर मुस्तान्सर बर्मा, टी.आई.एफ.आर, मुम्बई
(xvii)	वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (पदेन)	श्री एस.के. रे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (पदेन)
(xviii)	रजिस्ट्रार, पदेन सचिव	रजिस्ट्रार, पदेन सचिव

3. पदेन सदस्यों के अलावा सोसायटी और शासी बोर्ड के शेष सदस्य तीन वर्ष के लिए कार्यभार सम्भालेंगे और पुनः नामांकन के पात्र होंगे।

4. रजिस्ट्रार सोसायटी और शासी बोर्ड के पदेन सचिव होंगे लेकिन ये इन दोनों प्राधिकरणों में से किसी के भी सदस्य नहीं माने जाएंगे।

सीमा राज
निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 27th February 2008

No. F. 9-11/2007-U. 3(A).–

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, a proposal was received from Islamic Academy of Education, Mangalore, Karnataka seeking status of deemed-to-be-university in the name of 'Yenepoya University' under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission have examined the said proposal and vide their communication No.F 26-8/2007 (CPP-I) dated the 23rd October, 2007 have recommended conferment of status of 'deemed-to-be-university' to Yenepoya University, Mangalore, Karnataka, comprising Yenepoya Dental College, Mangalore, under Section 3 of the UGC Act, 1956;

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare Yenepoya University, Mangalore, Karnataka, comprising of Yenepoya Dental College, Deralakatte, Mangalore, as deemed-to-be-university for the purposes of the aforesaid Act, with effect from the date on which the aforesaid Dental College is disaffiliated from its affiliating university, viz., Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka;

5. The declaration made in para 4 above is subject to further conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this Notification;

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to Yenepoya University or its constituent teaching units.

RAVI MATHUR
Joint Secy.

New Delhi, the 28th February 2008

No. 22-6/2007-TS.I : With a view to promoting high quality education and research in Science, the Government of India has established an Indian Institute of Science Education and Research (IISER) at Thiruvananthapuram. The Institute has been registered as a Society under the Travancore-Cochin Literary Scientific and Charitable Societies' Registration Act, 1955 (12 of 1955) on 20.2.2008 at No. T.342/08.

2. As per Regulations No. 7.1 and 8.1 of Indian Institute of Science Education and Research Thiruvananthapuram Society, the Government of India constitute the Society and Board of Governors of IISER, Thiruvananthapuram, as follows:-

A. <u>SOCIETY</u>

Sl. No.	**Constitution of the Society as per MOA**	**Names of persons nominated**
a)	Chairman, to be nominated by the Central Government being an *eminent Scientist or Educationist, Educational or Scientific Administrator.*	Prof. M.R.S. Rao, F.A.Sc. F.N.A. President, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Jakkur P.O., Bangalore-560 064
b)	Chief Secretary, Government of Kerala	Shri P.J. Thomas, Chief Secretary, Government of Kerala (ex-officio)
c)	Secretary, Department of Higher Education, Government of India, or his nominee not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India.	Shri R. P. Agrawal, Secretary (HE), Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education (ex-officio).